उनवानी प्रकरणः– सरकार बनाम मुरारी पुत्र काडू मीना वगै

मु.न.:– ..06.. / 2026 　　　　 कि0मु0:– प्रार्थना पत्र 　　　　 धारा 136 एल.आर. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
06.02.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मुरारी पुत्र काडू जाति मीना निवासी पीपल्दा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण संख्या 2087 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा विरासत नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्बत् 2078–2081 में मुरारीलाल पुत्र काड़ी, कैलाशी, रामसरी पुत्र काडी दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम काडू है। प्रार्थीगण के पिता का अशुद्ध नाम काडी के स्थान पर काडू शुद्ध किया जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार खण्डार से रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट हेतु दिनांक 13.02.2026 को पेश हो।	81 6/2/2026
	13/2/26 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी के पिता का विरासत का नामा० खोलते समय काडू के स्थान पर काड़ी दर्ज हो गया। जिसे नामा० संख्या 2087 दिनांक 10/6/2022 के द्वारा शुद्ध कर दिया गया है। प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी खण्डार (सवाई माधोपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.02.19 11:31:12 IST
Reason: SelfAttested